पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट

5083. **श्री शारदानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में पहली जनवरी, 1968 से लेकर अब तक हुई बम विस्फोट की घटनाओं की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) उक्त अवधि में उक्त राज्य में कितने बम पाए गये ;

(ग) उन में से कितने देश में बनाये हुये थे और कितने विदेश में ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध किस किस्म की कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किय जा रहे है ।

Decision of Eighteenth meeting of National Harbour Board on Modernisation of Indian Ports

5084. SHRI RABI RAY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the eighteenth meeting of the National Harbour Board took place at Bhubaneswar on the 24th January, 1970; and

(b) if so, the details of the decisions taken in this meeting as regards modernisation of Indian Ports?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH): (a) Yes.

(b) The Fourth Plan programme for the development and modernisation of major ports was noted by the Board. As regards minor and intermediate ports, the respective points of view were explained by the representatives of different maritime States. It was agreed that the details and the outstanding points would be discussed by the Ministry of Shipping and Transport with different maritime States individually.

श्री बलदेव सिंह की हत्या

5085. **श्री शारदानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री टी० पी० शाह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा के डिप्टी कमिशनर के अनुदेशों के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 287 तथा 304-ए के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अग्रेतर जांच कार्यवाही इस बीच पूरी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत श्री मिल्खी राम के विरूद्ध इस बीच मामला दर्ज कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कार्यवाही कब तक पूरी किये जाने की सम्भावना है तथा मामला कब दर्ज किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस और आगे जांच-पड़ताल कर रही है जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ।